(पाश की कविताएं)

आप हैरान न हों

आप हैरान होते हैं
और मुझसे मेरी दृढ़ता की वजह पूछते हैं?
मेरा अब कहना नहीं बनता–
भला क्यों कोई मरूस्थलों में जलता है
और किसलिए तेसा पकड़कर
पर्वतों से नहर निकालता है?
आप बेखौफ़ होकर आएं
और एक बेवफा प्रेमिका की तरह
मुहब्बत का हमें अंजाम दे जाएं
देखो–आपके 'दिलफरेब' हुस्न को निहारते
मैंने 216 घंटे जागकर बिताए हैं
और बिजली की नंगी तार पर हाथ रखा है
और चाश्नी में लिपटे अंग
चींटियों की बांबी पर फेंक दिए हैं
आप सोचते होंगे
अब मैं गिड़गिड़ाऊंगा
हम भिखारी नहीं
हमें तो ऐसे ही मर जाने का शौक होता है
हम आंखों में आंखें डालकर देखते हैं
हम प्रेमिका के पैर नहीं पकड़ते
आप हैरान न हों
मेरा तो कहना बनता नहीं
कि अब वह ऋतु आनेवाली है
जिसमें सरफरोशी के वृक्षों पर फूल उगते हैं
आपकी चर्खड़ी के अर्थ भी धुन दिए जाते हैं।

रात से

उदास बाजरा, सिर झुकाए खड़ा है
तारे भी बात नहीं करते
रात को क्या हुआ है...
ऐ रात, तू मेरे लिए उदास न हो
तू मेरी देनदार नहीं
रहने दे, इस तरह न सोच
जुगाली करते पशु कितने चुप हैं
और गांव की स्निग्ध फिजा कितनी शांत है
रहने दे, रात, तू ऐसे न सोच, तू मेरी आंखों में झांक
ये उस बांके यार को अब कभी न देखेंगी
जिसकी आज अख़बारों ने बात की है...
रात! तेरा उस दिन का वह रंग कहां है?
जब वह पहाड़ी चो के जल की तरह
जल्द–जल्द आया था
चांदनी की लौ में पहले हम पढ़ें
फ़िर चोरों की तरह बहस की
और फिर झगड़ पड़े थे
रात! तू तब तो खुश थी जब हम लड़ते थे
तू अब क्यों उदास है, जब हम बिछड़ गए हैं
रात, तुझे जानेवाले की कसम
तेरा यों उदास होना बनता नहीं है
मैं तेरा देनदार हूं, तू मेरी देनदार नहीं
रात, तू मुझे बधाई दे
मैं इन खेतों को बधाई देता हूं
खेतों को सब पता है
आदमी का लहू कहां गिरता है
और लहू का मोल क्या होता है
यह खेत सब जानते हैं
इसलिये ए रात!
तू मेरी आंखों में देख
और मैं भविष्य की आंखों में देखता हूं।

पेज 1 का शेष भाग

जालसाज़ी से डी ई ओ बनी धारीवाल

इस प्रमाणपत्र की भाषा व लेखन शैली से ही पता चल जाता है कि यह फ़र्जी है; लेकिन फ़िर भी आर टी आई द्वारा जुटाई गयी जानकारी में दिल्ली शिक्षा विभाग के डिप्टी डायरेक्टर साउथ ने इस बात की लिखीत तसदीक कर दी है कि रेखा पंवार या रेखा धारीवाल नाम की कोई महिला इस स्कूल में कभी भी किसी पद पर नहीं रही। धारीवाल की शैक्षिक डिग्रियां कितनी सच्ची या झूठी हैं, यह तो अभी जांच का विषय है परन्तु उनके अनुभव प्रमाण पत्र के झूठा होने की तो तसदीक भी हो चुकी है। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर रेखा ने बतौर प्रिंसिपल 19.3.1999 को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल औरंगाबाद (जो अब पलवल जिले में है) पदभार संभाल लिया। मात्र आठ माह बाद ही रेखा का तबादला मैट्रो सिनेमा (फ़रीदाबाद)के निकट स्थित कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल का हो गया। वहां से पदोन्नत हो कर बी ई ओ बल्लबगढ़ व पुनः पदोन्नत हो कर फ़रीदाबाद यानी भर्ती होने से ले कर ज़िला शिक्षा अधिकारी बनने तक केवल शुरू के 8 माह भी इन्होंने गांव औरंगाबाद में गुजारे हैं शेष सारी नौकरी शहर फ़रीदाबाद की ही चल रही है।

बिना किसी अच्छे तो दूर संतोषजनक शैक्षणिक उपलब्धि के तथा फ़र्जी अनुभव प्रमाण पत्र के सहारे सरकारी नौकरी, वह भी प्रिंसिपल जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचना, बिना किसी प्रबल राजनीतिक हस्तक्षेप के संभव नहीं। और वह भी तब जब मुकाबले में खुद हरियाणा सरकार के अपने स्कूलों में उत्कृष्ट शैक्षणिक और सेवा रिकार्ड वाले उम्मीदवार मुकाबले में हों। चर्चा है कि रेखा के पति के साथ कभी कॉलेज में पढ़े इसी ज़िले के एक पूर्व विधायक एवं मंत्री की सिफ़ारिश का करिशमा है उनकी की नियुक्ति।

दरअसल नौकरी लगते वक्त यह किसी को पता नहीं था कि 2005 में आर टी आई नाम का भी कोई कानून बनेगा और सभी छुपे दस्तावेज़ निकल कर बाहर आ जायेंगे। उस वक्त तो केवल यही सोचा गया होगा कि बस एक बार नौकरी पकड़ ली जाये बाद में कौन पूछता है। लेकिन अब सम्बन्धित अफ़सरों को जवाबदेय होना पड़ेगा तथा फ़र्जीवाड़े में शामिल लोगों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही देर सबेर करनी ही पड़ेगी।

गौरतलब है कि इस तरह के फ़र्जीवाड़े द्वारा नौकरी प्राप्त करने वाली रेखा धारीवाल कोई अकेली अपवाद नहीं है। ऐसे बीसियों लोग 'मज़दूर मोर्चा' के स्कैनर पर मौजूद हैं जिन्होंने फ़र्जीवाड़े करके शिक्षा विभाग में नौकरी पकड़ी हुई हैं। फ़र्जीवाड़ा केवल शिक्षा विभाग तक ही सीमित हो ऐसा भी नहीं है, फ़र्जीवाड़ा चलने लगता है तो वह किसी एक विभाग तक सीमित रह भी नहीं सकता। क्या इसी फ़र्जीवाड़े के दम पर भूपेन्द्र सिंह हुड्डा हरियाणा को शिक्षा का हब बनाने का दावा करते हैं?

आर टी आई पर भारी, अफ़सरों की खुमारी: सर्विस स्टेशन रहेगा जारी

इसके जवाब में उपायुक्त कार्यालय से दिनांक 03.12.2012 को पत्र क्रमांक 757 ज़. सू. लि. दिनांक 29.11.12 प्राप्त हुआ जिसमें बताया गया कि मांगी गयी सूचना के लिये सम्बन्धित अधिकारियों-प्रशासक हूडा, आयुक्त नगर निगम, एस ई बिजली (डी एच बी वी एन) तथा डी एफ ओ वन विभाग को मूल प्रार्थना पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है। कहीं से भी कोई जवाब न मिलने पर दज्योति संग ने 21.2.13 को उपायुक्त कार्यालय में प्रथम :अपील दायर की। कार्यालय ने अपील तो ले ली लेकिन साथ में यह भी बता दिया कि इस अपील से अब उनके कार्यलय का कोई ताल्लुक नहीं है। प्रथम अपील उन सभी कार्यालयों में अलग-अलग डलेगी जिनको सूचना प्रदान करने के लिये मूल प्रार्थना पत्र भेजा गया था।

इस पर प्रार्थी ने प्रशासक हूड्डा तथा वन विभाग के कार्यालय में प्रथम अपील दिनांक 19.3.13 व 3.4.13 को दायर की। लेकिन खबर छपने तक इनमें से किसी ने भी जवाब देने की जरूरत महसूस नहीं की थी।

पूरे मामले को 'सूचना का अधिकार कानून' की बजाय यदि प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी देखा जाता तो उपायुक्त कार्यालय में बैठे अधिकारियों के कान खड़े हो जाने चाहिये थे। क्योंकि उक्त वर्कशॉप सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करके पूर्णतया अवैध तरीके से बनाई गयी है। हूडा की पाइप लाइन से पानी की चोरी हो रही है तथा गंदे पानी को गहरे पाइप द्वारा भूमि में उतार कर भू जल को प्रदूषित किया जा रहा है। लेकिन किसी अधिकारी के कान पर कोई जूं तक नहीं रेंगी। दरअसल उन्हें और ही धंधों से फूर्सत मिले तभी तो प्रशासनिक कार्यों को देखोंगे।

यह भी किसी से छिपा नहीं है कि जंगलात के आरक्षित क्षेत्र में ज़रा सी भी कोई गतिविधि करता है तो तुरंत जंगलात गार्ड वहां पहुंच जाते हैं। इस मामले में सम्बन्धित क्षेत्रीय गार्ड की मिली भगत के बिना इतना बड़ा निर्माण कार्य संभव नहीं हो सकता है। एक अकेला जंगलात का ही नहीं, लगभग सभी विभागों के सम्बन्धित कर्मचारी/ अधिकारी मौके पर पहुंच कर अपना अपना सेवा-पानी वसूल करके ही इस तरह के निर्माण कार्यों को होने देते हैं। यह सब तभी संभव होता है जब ऊपर बैठे उच्चाधिकारी अपने-अपने प्रशासनिक दायित्वों को निभाने की बजाये अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति में जुटे रहते हैं। अब भला सूचना के अधिकार के अंतर्गत मिली सूचना को क्या कोसें?

900 चूहे खाकर गुजराती बिल्ली हज को चली

1984 के सिख दंगों, 80 के दशक के भागलपुर नरसंहार में एक भी हिन्दू आतंकी को फांसी की सज़ा नहीं दी गयी जबकि ये दोनों 2002 के गुजरात नरसंहार से किसी भी मामले में उन्नीस नहीं थे। मई 1987 का मलियाना-हाशिमपुरा (मेरठ) कांड और दिसम्बर 1992 का बाबरी मस्जिद कांड तो अभी तक निचली अदालतों में झूला झूल रहे हैं। दोनों में शामिल हिन्दू आतंकवादियों में कुछ बड़े राजनीतिज्ञों के नाम भी हैं। लिहाज़ा मोदी को भी पता है कि अपील से वह अपने चेहरे से साम्प्रदायिक हिंसा के धब्बे तो मिटा सकता है पर आरोपियों को फांसी चढ़ने का खतरा नहीं है।

सांप भी मर जाये और लाठी भी न टूटे, इसी को कहते हैं। वैसे भी ये अपीलें समय सीमा (3 माह) के निकल जाने के बाद, 7 माह बाद की जा रही हैं। यानी पहले गुजरात उच्च न्यायालय से देरी माफ़ करानी पड़ेगी। जाहिर है अपील भी खाना-पूर्ति के लिये ही की जा रही है, लिहाज़ा उसे वैसे भी कमज़ोर दलीलों के साथ ही अदालत के सामने रखा जायेगा। अगर अदालत देरी माफ़ भी कर दे तो भी मोदी सरकार के वकील अपनी कमज़ोर दलीलों से यह तो सुनिश्चित कर ही लेंगे कि उनकी अपील खारिज हो जाये। जानकार हल्कों में यह आशंका भी जताई जा रही है कि मोंदी की मंशा सारे खेल को अपने हाथ में रखने की है। हिन्दू उन्मादियों के विरूद्ध सज़ा बढ़वाने की अपील में केन्द्र की कांग्रेसी सरकार की रूचि भी नहीं होगी क्योंकि उनके नज़रिये से यह वोटों के लिये नुक्सानदेय भी हो सकता है। पर डर यह है कि कोई नागरिक संगठन ऊंची अदालतों का दरवाज़ा सीधे खटखटा सकता है, और उस हालत में होनेवाली अपील एवं अदालती कार्यवाही पर मोदी का वश नहीं रहेगा।

फ़िलहाल बाबू बजरंगी और माया कोडनानी के खिलाफ़ अपील की खबर मोदी के दोनों लक्ष्यों में कुछ न कुछ सहायता की होगी। अमेरिका, अपने व्यापक व्यवसायिक हितों को ध्यान में रखते हुए मोदी को वीज़ा देने का बहाना ढूंढ सकता है। भाजपा भी अपने सहयोगी दलों के सामने इस अपील को मोदी के 2002 के नरसंहार से अलग होने के सबूत की तरह पेश कर सकती है। इतना तो मोदी और भाजपा को भी पता है कि इस देश के मुसलमान उन्हें वोट नहीं देने जा रहे। पर वे नितीश कुमार, जय ललिता, चन्द्र बाबू नायडू, ममता बनर्जी जैसे अपने सम्भावित सहयोगियों को खो कर सत्ता में नहीं आ पायेंगे। तो सारी कवायद यही है कि मोदी भी रहे और सहयोगी दल भी। मोदी के लिये पद से बड़ा कुछ भी नहीं है। अपने निहित स्वार्थ के लिये वह कितने ही सहयोगियों एवं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बलि चढ़ा सकता है। बाबू बजरंगी व माया कोडनानी को आज यह पता चल चुका है। अगर खुदा न खास्ता मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा तो उसके तमाम वरिष्ठ सहयोगियों को भी अपने आप यह ज्ञान होता जायेगा।

पेज 8 का शेष भाग

जब वह देश के कर्णधारों को खरीद सकता है तो पहरेदारों को क्यों नहीं!

जनहित के नाम पर हासिल की गयीं ज़मीनें एवं खदानें, वैज्ञानिक उपलब्धियां एवं खोजें, नयी तकनीकें इत्यादि जब पैसे वालों के हवाले सरकारों द्वारा कर दिये जाते हैं तो जनता के हितों की ऐसी तैसी करके ही। स्पेक्ट्रम, लौह खनिज, कोयला, रीयल एस्टेट को लेकर तमाम घोटाले निकल कर सामने आ रहे हैं। हालांकि इन घोटालों को उजाग़र करने वालों की मंशा भी जन-हित न हो कर बंदरबांट में अपना हिस्सा बढ़ाने की ही होती है। इन घोटालों की छानबीन में कभी यह आंकलन नहीं किया जाता कि इनसे आम जनता को किस कदर आर्थिक एवं सामाजिक दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है।

मुकेश अंबानी को वहीं सी आर पी एफ दी जा रही है जिसका पिछले सालों में नक्सल-विरोधी अभियानों के नाम पर विस्तार किया गया है। अब इसी मानव संसाधन का एक हिस्सा काट कर अंबानी के हवाले किया जा रहा है। कल को अगर 2-3 चिट्ठियां और मंगा ली गयीं तो शायद पूरी कम्पनी (100 जवान) या बटालियन (1000 जवान) ही अंबानी के हवाले कर दी जायेगी। वह इनके पैसे तो दे ही सकता है, क्योंकि उसे कौन सा अपनी जेब से देने हैं-सारा खर्च कम्पनी के खाते से दिखाया जाना है। कल को इस सारी व्यवस्था पर अदालती मुहर लगवाने के लिये कोई पी आई एल हाई कोर्ट / सुप्रीम कोर्ट में डाली जा सकती है कि सुरक्षा टुकड़ियों के बजाये यूं देने के उनकी नीलामी की जाये जिससे सरकारी खजाने में ज़्यादा पैसे आ सकें। नीलामी की पद्धति अपनाने का बड़े धन्नाशाहों को लाभ यह भी होगा कि उनके अलावा कोई और सुरक्षा के बहाने सरकारी फ़ौजें नहीं हथिया पायेगा और इस तरह बड़े धन्नाशाहों की विशिष्ठता को चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

रोज़ ही यह सवाल उठता है कि तथा कथित विशिष्ठ व्यक्तियों/ आयोजनों के लिये पुलिस/ सुरक्षा-बलों को झोंकने से आम जनता के मामलों पर लगाने के लिये सुरक्षाकर्मी/ पुलिसकर्मी कम पड़ जाते हैं। अब बची-खुची संख्या भी अंबानी जैसों के वैधानिक रूप से हवाले करने का रास्ता केन्द्रिय गृह मंत्रालय ने खोल दिया है।